प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 25/08/2026

थाना औराई पु लस द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने, मारपीट, धमकी देने और आपरा धक साजिश रचने के मामले में वांछित शातिर अ भयुक्त गरफ्तार

घटना का सं क्षप्त ववरण:

अ भयुक्त नौशाद अहमद के वरुद्ध थाना औराई पर मुकदमा अपराध संख्या 260/26, धारा 281/125A/125B/190/191(2)/352/351(3)/131/115(2)/109(1)/3(5) बी०एन०एस० व 7 सीएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जिसमें वह वांछित चल रहा था। पु लस टीम को मुखबिर से सूचना मली क अ भयुक्त अपनी गरफ्तारी से बचने के लए भागने की फराक में है। इस पर पु लस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर उसे दबोच लया।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के तहत *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 25/08/2026 को नरथुआ मारुति एजेंसी के पास से वांछित अ भयुक्त नौशाद अहमद को गरफ्तार कया गया।

* गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण:-*

नौशाद अहमद पुत्र वजीर अहमद, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी- वार्ड नं0 05 कल्ली तारा घो सया, थाना औराई, जनपद भदोही।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

निरीक्षक सेतान्शू शेखर पंकज, उ०नि० सतीश कुमार, हे०का० जितेन्द्र कुमार, का० प्रयांक पारासर, का० वैभव संह, हे०का० इमरान अहमद थाना औराई जनपद भदोही।